(2)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत सत्यमेव जयते INDIA TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI 49AA 105373

शपथ पत्र

महोबा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

सुश्री उमा भारती पुत्री स्व0 श्री गुलाब सिंह शपथ पत्र, मैं उमा भारती पुत्री स्व0 श्री गुलाब सिंह आयु 54 वर्ष, निवासी–106, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, की निवासी एतदद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापुर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करती हूं:–

1– कि मैं उमा भारती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 231 चरखारी की विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाली अभ्यर्थी थी, जिनका परिणाम 06/03/2012 घोषित किया गया था ।

2– कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 28/01/2012 (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिमलित करते हुए, के बीच मैने और मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उपगत/प्राधिकृत सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखा है ।

NOTARY Regn. No. 337 BHIM SINGH INDORA DELHI GOVT. OF INDIA

NOTARY
Regn. No. 337
BHIM SINGH
INDORA
DELHI
GOVT. OF INDIA

3— कि उक्त लेखा रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस उददेश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथा इनमें संलग्न है।

4— कि निर्वाचन के संबंध में इसमे संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखें में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यकित्यों के निकाय एवं अन्य व्यकित्यों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन मद की सभी मदें भी इसमें शामिल है एवं उनमें से (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

5— कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक–2 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।

6— कि पूर्व पैरा (1) से (5) में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा कोई गलती नहीं है एवं किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

(मेरे समक्ष 2012 के इस 02/04/2012 दिन में उमा भारती द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)

ATTESTED
BHIM SINGH INDORA
NOTARY GOVT OF INDIA
2/4/2012

UG-51, SOMDUTT CH-II
9, BHIKAJI CAMA PLACE,
NEW DELHI-110066, INDIA
☎ : 26100902

संलग्नक–15

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग–I

अभ्यर्थी का नाम :– सुश्री उमा भारती

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम :– 231 चरखारी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :– उ० प्र०

निर्वाचन का स्वरुप :– ~~उप निर्वाचन~~/साधारण निर्वाचन

परिणाम घोषणा की तारीख :– 6/3/2012

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता :– श्री सतोषकुमार रिछारिया एडवोकेट नि० जैतपुर

भाग–II

I. क्या आप राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी थे ? : हाँ/~~नहीं~~

II. यदि हाँ, तो दल का नाम :– भारतीय जनता पार्टी

III. क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है ? हाँ/~~नहीं~~

IV. यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो राष्ट्रीय दल है या राज्यीय दल है : राष्ट्रीय/~~राज्यीय दल~~

V. क्या आपके दल ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत/प्राधिकृत किया है ? : ~~हाँ~~/नहीं

VI. क्या किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत/प्राधिकृत किया है ? : हाँ/~~नहीं~~

VII. यदि हाँ, तो उसका/उनका नाम एवं पूरा पता लिखें : सूचि संलग्न है क्रमांक–8.9.

(1)..

(2)..

(3)..

भाग—III

अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय का सार विवरण

	व्यय की मद	निम्न द्वारा उपगत / प्राधिकृत व्यय			उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय (स्तम्भ 2, 3 एवं 4 का जोड़)
		अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता	राजनैतिक दल जिसने उसे खड़ा किया है	कोई अन्य संस्था / व्यक्तियों के निकाय / व्यक्ति	
	1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0	रु0
1	जन सभाए, जुलूस इत्यादि	127087			
2	प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पोस्टर, वीडियो एवं आडियो कैसेट, लाउडस्पीकर इत्यादि	47708			
3	इलेक्ट्रानिक / प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार (केबल नेटवर्क सहित)	48580			
4	इस्तेमाल की गयी गाडियों एवं उन गाडियों के ईंधन पर हुआ व्यय	519568			
5	द्वार / मेहराब, कटआउट, बैनर इत्यादि बनाना	×			
6	निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं का दौरा (नेताओं की यात्रा पर हुये व्यय के अलावा पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये धारा 77 (I) के				

6	निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं का दौरा (नेताओं की यात्रा पर हुये व्यय के अलावा पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये धारा 77 (I) के अधीन स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित)				
7	अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं का दौरा	—			
8	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय	—			
9	अन्य विविध व्यय	255104			
	कुल जोड़	998047 =			

प्राप्त की गई एकमुश्त राशि, यदि कोई इनमें से हो :—

1	राजनीतिक दल	+
2	कोई अन्य संस्था / निकाय (उनके नाम एव पता सहित)	सूचि संलग्न है
3	कोई व्यक्ति (नाम एव पता सहित)	सूचि संलग्न है कुल धनराशि- 1172000=00

भाग–IV

प्रयोग में लाये गए वाहनों पर व्यय का ब्यौरा

अपने राजनैतिक दल या किसी अन्य संघ/संगठन/निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को आपूर्ति किए गए वाहनों सहित निर्वाचन में प्रयुक्त सभी वाहनों पर किए गए व्यय का विवरण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। (इसका एकमात्र अपवाद धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाले राजनैतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है।)

वाहन की रजिस्ट्रेशन सं0	वाहन का प्रकार	आर ओ द्वारा जारी वाहन की परमिट सं0	भाड़े की दर			दिनों की सं0 जिनके लिये प्रयोग किए गए	उपगत कुल राशि	कॉलम 6 के कुल व्यय का पृथक विवरण		
			वाहन भाड़े/अनुरक्षण की दरें	ईंधन प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नही किया गया है।)	ड्राइवर का प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नही किया गया है)			अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5	6	7	8	9

कॉलम 6 का कुल योग : रु0

नोट :

1. उन सभी वाहनों, जिनके लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया, की सूची वाले आदेश की प्रति संलग्न की जाए।
2. उपर्युक्त सारणी में जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों के लिये प्रयुक्त सभी वाहनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से अपने वाहनों का प्रयोग किया गया है, तो केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिये प्रयुक्त वाहन को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के भाड़े की नेशनल लागत को उपर्युक्त सारणी में व्यय की कुल राशि में शामिल किया जाएगा।

भाग–V

जन सभा/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

(अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता/उसकी राजनीतिक पार्टी/किसी अन्य संस्था/संगठन/निकाय/अभ्यर्थी की ओर से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित जनसभा/रैली/जुलूस/इत्यादि का उल्लेख इस फार्मेट में किया जाए)

जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों की कुल संख्या   कुल व्यय...रु0

1	2	3	4				5	6	7
जनसभा/रैली की तारीख	स्थान का पता	प्राधिकारी का नाम, जिससे अनुमति ली गई	जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों पर खर्च				अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत राशि	राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत राशि और पार्टी का नाम	किसी अन्य संस्था/निकाय/व्यक्ति द्वारा उपगत राशि और ऐसे व्यक्तियों का नाम
	स्टार प्रचारक/बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति (यदि कोई है) का नाम	संदर्भ सं0 और अनुमति की तारीख	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि			
			पंडाल एवं फिक्सचर						
			तोरण और बैरिकेडिंग						
			किराए पर लिया गया फर्नीचर						
			किराए पर लिये गए लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन						
			पोस्टर						
			बैनर						
			कट–आउट						
			डिजिटल बोर्ड						
			प्रकाश की मदें जैसे पंक्तिबद्ध लाइट इत्यादि						
			विद्युत बोर्ड आदि का भुगतान किये गये/देय विद्युत प्रभार						

भाग—VI

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण (2) के निबंधनों के अनुसार नामनिर्दिष्ट दल के नेता (नेताओं) की यात्रा पर व्यय का ब्यौरा

क्रम.संख्या	नेता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र में आगमन की तारीख	आगमन का ब्यौरा		ठहरने का ब्यौरा		प्रस्थान का ब्यौरा			क्या अभ्यर्थी ने राजनैतिक दल अथवा अन्य द्वारा मदसं0 (5) (7) एवं (10) पर व्यय विनिर्दिष्ट किया है	अभ्यर्थी द्वारा मद (5) (7) एवं (10) पर व्यय यदि कोई हो
			यात्रा का माध्यम	भुगतान किए गए भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)	निर्वाचन क्षेत्र में ठहरने की अवधि	स्थानीय यात्रा पर व्यय	निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्थान की तारीख	यात्रा का माध्यम	भुगतान किये गये भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											

कुल व्यय											

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम

25

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

2-31 चतरवारी

विधान सभा क्षेत्र

मुझे रमापति शास्त्री (निर्वाचित)

प्रत्याशी - भारतीय जनता पार्टी

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख–रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच.......................... क्रम सं0 वाले रजिस्टर तथा इसके संलग्नकों सहित आपके दिनांक 3-4-12 के पत्र सं0 1321 ....की पावती देता हूँ ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख–रखाव और उस लेखे की सही प्रति और निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है ।

भवदीय,

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और तारीख

जो लागू न हो, उसे काट दें :–

कुल व्यय = 998047=00

(115)

कार्यालय रिटर्निंग आफीसर 231 चरखारी/उप जिला मजिस्ट्रैट चरखारी।

संख्या / एस0टी0-वि0स0सा0नि0-2012 दिनॉक 19 फरवरी, 2012

नोटिस

सुश्री उमा भारती
प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी
विधान सभा क्षेत्र-231 चरखारी।

दिनॉक 17.02.2012 में आपके दैनिक व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो रजिस्टर से कि गया, जिसमे पाया गया कि आपने अपने व्यय रजिस्टर मे दिनॉक 14.02.2012 में चरखारी मेला ग्रा मे श्री केशव चन्द्र सिन्हा, ओम प्रकाश चौहान व अन्य पिछड़े वर्ग के नेता की जनसभा आयोजित गयी थी ,जिसका व्यय रजिस्टर मे अंकित नही पाया गया है । इस जनसभा मे श्री बाबू सिंह कुश जो भाजपा के स्टार प्रचारक नही है ने हेलीकाप्टर से आकर भाग लिया और आपको जिताने के वोट की अपील की । निर्वाचन व्यय अनवीक्षण के पैरा 5.6.1के अनुसार श्री बाबू सिंह कुशवाहा यात्रा व्यय छूट की श्रेणी मे नही आता है । इस प्रकार जनसभा सम्पूर्ण व्यय एवं हेलीकाप्टर किराया को आपके व्यय रजिस्टर मे लिया जाना है। आपके व्यय एजेंट ने जनसभा के व्यय सहमति से अपने व्यय रजिस्टर मे अंकित कर लिया लेकिन हेलीकाप्टर के किराये को जोडने असहमति प्रदान की है।

अतः आपको एतद्द्वारा नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए आपसे अपेक्षा की जात कि आप अपने दैनिक व्यय रजिस्टर मे श्री बाबू सिंह कुशवाहा की हेलीकाप्टर से की गयी यात्रा को अपने रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप लो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-77(1) के अनुसार सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रख विफल रही है ।

19/2/12

रिटर्निंग आफीसर
231-विधान सभा चरखारी

प्रतिलिपिः-

1. मान्नीय व्यय प्रेक्षक महोदय भारत निर्वाचन आयोग विधान सभा क्षेत्र-231 चरखारी को उ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन मे सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक व्यय प्रेक्षक 231-विधान सभा चरखारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
3. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली चरखारी को इस आशय से नोटिस का सम्बन्धित पर व्यक्ति तामीला सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

19/2/12

रिटर्निंग आफीसर
231-विधान सभा चरखारी